(39)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 577–तीन/2015 निगरानी – विरुद्ध आदेश दिनांक 17–12–2014– पारित व्दारा – अनुविभागीय अधिकारी, गोपदबनास जिला सीधी – प्रकरण कमांक 257/2011–12 अपील

हुब्बालाल तेली पुत्र धनपति व्दारा मुख्त्यारआम
राजेन्द्र साहू पुत्र हुब्बालाल निवासी ग्राम देवाडाड
तहसील गोपदबनास जिला सीधी मध्य प्रदेश । ---आवेदक

विरुद्ध

1– परमेश्वर तेली पुत्र स्व.शिवचरण लाल
(मृतक वारिस)
अ– बैजनाथ साहू ब– शिवनाथ साहू
स– रामनाथ साहू द– विश्वनाथ साहू
क– सुश्री रनिया साहू सभी पुत्र/पुत्री स्व.बैजनाथ
2– समयलाल तेली पुत्र स्व.रामेश्वर
3– सुरेश तेली पुत्र स्व.रामेश्वर
4– रामनरेश तेली स्व.रामेश्वर
5– बंशपति तेली पुत्र शिवचरण
6– तेरसी पुत्री स्वर्गीय गजरुप तेली
7– मुनिया पुत्री स्वर्गीय गजरुप तेली
8– सुभउआ पुत्री स्वर्गीय गजरुप तेली
9– सुगिया पुत्री स्वर्गीय गजरुप तेली
10– छबिलाल पुत्र स्व.रामेश्वर तेली
11– लखन तेली पुत्र धनपति

कृ0पृ030–

12– निहठी पत्नि सुखलाल तेली
13– फुल्ली पुत्री बंशरुप
सभी निवासी ग्राम सीधी कला अमला
तहसील गोपदबनास जिला सीधी मध्य प्रदेश
14– मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी0एस0चाहौन)

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)

(अनावेदक 14 के पैनल लायर श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 7 –9–2017 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, गोपदबनास जिला सीधी के प्र.क. 257/2011–12 अपील में पारित आदेश दि0 17–12–14 के विरुद्ध म0प्र0 भू रा0 संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि उभय पक्ष के बीच ग्राम अमला में धारित कुल किता 11 कुल रकबा 2.194 हैक्टर भूमि का तहसीलदार गोपदबनास ने प्रकरण कमांक 112 अ–27/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 29–10–11 से बटवारा किया। इस आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर जिला सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर सीधी ने प्रकरण कमांक 17/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23 –6– 2012 से निगरानी निरस्त कर दी। तहसीलदार गोपदबनास के प्रकरण कमांक 112 अ–27/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 29–10–11 के विरुद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रचलित रहते हुये अनुविभागीय अधिकारी, गोपदबनास जिला सीधी के समक्ष अपील कमांक 257/2011–12 दिनॉक 11–1–2012 को प्रस्तुत कर दी गई ।

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष फुल्ली पुत्री बंशरुप ने आवेदन प्रस्तुत कर हितबद्ध होना बताते हुये पक्षकार बनाये जाने की मांग की। सुनवाई के दौरान हुब्बालाल पुत्र धनपति ने पक्षकारों के असंयोजन के कारण अपील निरस्त करने की आपत्ति प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 17—12—14 पारित किया तथा अपीलांट अभिभाषक व्दारा अपीलांट को रिस्पाण्डेन्ट बनाने हेतु प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया तथा हुव्वलाल को अनावेदक कमांक 10 के रुप में योजित करना स्वीकार किया। अनुविभागीय अधिकारी, गोपदबनास के इसी आदेश दि0 17—12—14 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से परिलक्षित है कि तहसीलदार गोपदबनास के प्रकरण कमांक 112 अ—27/2010—11 में पारित बटवारा आदेश दिनांक 29—10—11 के विरुद्ध अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष समयलाल तेली, सुरेश तेली, रामनरेश तेली पुत्रगण रामेश्वर तेली ने निगरानी कमांक 17/2011—12 प्रस्तुत की थी तथा निगरानी के प्रचलित रहते इन्हीं पक्षकारों एंव परमेश्वर तेली , बॅशपति तेली ने मिलकर दिनांक 11—1—2012 को अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के समक्ष अपील कमांक 257/11—12 प्रस्तुत कर दी अर्थात तहसीलदार गोपदबनास व्दारा पारित बटवारा आदेश दिनांक 29—10—11 के विरुद्ध पक्षकारों ने दो — दो न्यायालयों में अपील + निगरानी प्रस्तुत कर एक ही प्रकार का अनुतोष चाहा गया।

अपर कलेक्टर सीधी के प्रकरण कमांक 17/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दि0 23 –6– 2012 का अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार है :–

" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बटवारा आदेश दिनांक 29–10–11 अनुसार उत्तरार्थी कमांक 7, 8 को हिस्से में प्राप्त भूमियों को विक्रय या अन्य किसी प्रकार के अंतरण न किये जाने के विरोध में उत्तरवादी क. 10 परमेश्वर तेली द्वारा माननीय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 सीधी के न्यायालय में वाद दायर किया गया था जिसे माननीय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 सीधी द्वारा व्यवहार वाद क. 12 ए 12/ में पारित आदेश दिनांक 26–4–12 द्वारा वाद निरस्त किया जा चुका है। इस तरह अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बटवारा आदेश दिनांक 29–10–11 विधि, प्रकिया के अनुकूल होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एंव प्रकिया के अनुकूल होने से निगरानी कर्ता की निगरानी खारिज की जाती है।"

निगरानीकर्ता के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि जब अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास से वरिष्ठ अपर कलेक्टर सीधी द्वारा प्रकरण कमांक 17/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23 –6– 2012 से तहसीलदार गोपदबनास के आदेश दिनांक 29–10–11 से किये गये बटवारे का पुष्टिकरण कर दिया तथा माननीय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 सीधी द्वारा व्यवहार वाद क. 12 ए 12/ में पारित आदेश दिनांक 26–4–12 से व्यवहार वाद निरस्त हो जा चुका है, तब अनुविभागीय अधिकारी वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों की उपेक्षा करके अपील का श्रवणाधिकार नहीं रखते है। आवेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत इस तर्क का खण्डन अनावेदकगण के अभिभाषक नहीं कर सके है।

निगरानीकर्ता के अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया जाय तो स्थिति यह है कि अपर कलेक्टर सीधी के प्रकरण कमांक 17/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23–6–2012 से तथा माननीय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 सीधी के व्यवहार वाद क. 12 ए 12/ में पारित आदेश दिनांक 26–4–12 से यदि अनावेदक पीड़ित है तब इन आदेशों के विरुद्ध उन्हें अपील/निगरानी में सक्षम न्यायालय में

जाना चाहिए था। माननीय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 सीधी व्दारा व्यवहार वाद क. 12 ए 12/ में पारित आदेश दिनांक 26—4—12 तथा अपर कलेक्टर सीधी व्दारा प्रकरण कमांक 17/2011—12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23 —6— 2012 से तहसीलदार के आदेश दिनांक 29—10—11 को विधिवत् ठहरा देने से अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास को अपील श्रवण करने की अधिकारिता नहीं रहती ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, गोपदबनास जिला सीधी के न्यायालय में दायर अपील कमांक 257/2011—12 एंव पारित अंतरिम आदेश दि0 17—12—14 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर